

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्प्लैक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, आजमगढ़, बहराईच, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, इटावा,
फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहांपुर एवं
वाराणसी।

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2016-17/6208-10 दिनांक 7-10-2016
/09/2016

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में स्थापित
एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर
स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से आपके जनपदों के जिला महिला एवं संयुक्त चिकित्सालयों
में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) क्रियाशील की गयी हैं। यह इकाईयां चिकित्सालयों का
अभिन्न अंग है।

सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु इस कार्यालय के पत्र
संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015-16/7297-23, दिनांक 13.10.2015 के माध्यम से
धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2016-17 की आर0ओ0पी0 में सिक न्यूबोर्न केयर
इकाई (SNCU) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय हेतु
जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1- Operational Cost

FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का 60 प्रतिशत औषधियों, कन्जुमेबिल्स,
डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (Govt. of india
FBNC Operational Guidelines के अनुसार) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री
आदि तथा 40 प्रतिशत धनराशि से ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील
बनाये रखने हेतु छोटे-मोटे उपकरणों के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की
आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें। प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला एवं संयुक्त
चिकित्सालयों द्वारा बिना नोडल अधिकारी एस0एन0सी0यू0 के लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न
किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिका के अनुसार इकाईवार धनराशि अवमुक्त की जा रही
है।

2- Human Resource-

- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code- A.8.1.3.5.d पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के संविदा
बालरोग विशेषज्ञों-एम0डी0-पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0 हेतु प्रति इकाई 3 बालरोग विशेषज्ञ हेतु
पूर्व से कार्यरत 20 बालरोग विशेषज्ञों हेतु रू0 78650/- प्रतिमाह की दर से 6 माह का मानदेय
एवं शेष 37 बालरोग विशेषज्ञों को रू0 71500/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु
धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु
अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.1.2.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के स्टॉफ नर्सों प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 124 स्टाफ नर्सों को रू0 19060/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी तथा शेष 28 स्टाफ नर्सों को रू0 18150/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code -A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के डाटा इन्ट्री आपरेटर- प्रति इकाई 1 डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु पूर्व से कार्यरत 13 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 6 माह का मानदेय तथा शेष 6 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 3 माह का मानदेय रू0 12000/- प्रतिमाह की दर से धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। जिन इकाईयों में डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद रिक्त हैं भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इन पदों को अब आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरा जायेगा। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 3 सफाई कर्मी एवं 3 वार्ड आया हेतु पूर्व से कार्यरत 60 सफाई कर्मी/वार्ड आया हेतु 6 माह का मानदेय तथा शेष 54 सफाई कर्मी/वार्ड आया हेतु 3 माह का मानदेय हेतु रू0 6400/- प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में नवीन पद सिक्चुरटी गार्ड (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 3 सिक्चुरटी गार्ड के 57 नवीन पदों हेतु रू0 6400/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

3- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट-

वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 के FMR Code-A.2.2.1.1 पर क्रियाशील इकाईयों में SNCU-Data Management हेतु रू0 1,60,000/- की धनराशि प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि हेतु रू0 60,000/- की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख-रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा। इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/FBNC/18'26/2016-17/8063, दिनांक 04.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000/- की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवंटित धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख केश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्युरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

4- संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश-

1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय/नोडल अधिकारी**, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
2. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलिटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।

यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थित में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

- 3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

5- डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व-

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सिक न्यूबोर्न इकाईयों (SNCUs) हेतु नियुक्ति डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा ही जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय मे संचालित "पोषण पुनर्वास केन्द्र" (NRCs) का Data भी online फीड करेंगे तथा इकाई की Database का रखरखाव, online Reporting, चिकित्सालय में संचालित बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करेंगे एवं समय-समय पर राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

6- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश-

- वित्तीय वर्ष के दौरान एस0एन0सी0यू0 में अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र करना सुनिश्चित करें।
- **संविदा स्टाफ नर्स :-** जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। जिनका मानदेय रू0 18150.00 प्रति माह की दर से देय होगा। **(सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में प्राथमिकता के आधार पर महिला स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाये)**
- **डाटाइन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)-** भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटाइन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने है। डाटाइन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000/- प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0 लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- **सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)-** जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्चुरटी गार्ड को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई 3 सफाई कर्मी, प्रति इकाई 3 वार्ड आया, प्रति इकाई 3 सिक्चुरटी गार्ड की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 6400/- प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार ही की जाये। संविदा कर्मियों के चयन हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय।

8- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। जिन इकाईयों में आनलाईन रिपोर्टिंग की जा रही है उन इकाईयों में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, द्वारा दैनिक आनलाईन रिपोर्टिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।

Mu

एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई-मेल-sncureportup@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि अपने प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें की एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

4.
OK (आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2016-17/6209-10 (9) दिनांक /09/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, जनपद-वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ/जिला महिला चिकित्सालय, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, आजमगढ़, बहराईच, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, इटावा, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहांपुर वाराणसी एवं वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, हजरतगंज, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

AWar
OK (डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

SNCU Old Districts Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2016-17

Sl. No.	Name of District	S.N	Name of Unit	Operational Cost	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrician			Staff Nurse				Cleaner/ Ward Ayah/Security Guard			Data Entry Operator			Total Funds released to DHS														
						No.	No.	Amount	No.	No.	Amount	No.	No.	Amount	No.	No.	Amount																
1	2	3	FMR Code	A.2.2.1	A.2.2.1.1	Existing @ 78650/month for 6 Months		New Padiatrician Honorarium @ Rs.71500/- p.m. for 3 months		Total Padiatrician Honorarium		Old, SNs @19060/Month for 6 months		New, SNs @18150 per Month for 3 months		5% increment for Old SNs for 6 months		Total Honorarium of Staff Nurse		Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN (7+8)		No. CL/WA for 6 months		No. CL/WA/SG for 3 month		Total Honorarium @ Rs. 6400/- p.m.		old DEO Honorarium @ Rs.12000/- p.m. for 6 months		New DEO Honorarium @ Rs.12000/- p.m. for 3 months		Total Honorarium of Data Entry Operator	
7	8	9	A.8.1.3.5.d	10	11	12	13	14	A.8.1.12.f		A.8.1.11.f		A.8.1.11.f		A.8.1.11.f		A.8.1.11.f		A.8.1.11.f		A.8.1.11.f												
1	Aligarh	1	Aligarh DWH	550000	160000	2	1	1158300	8	0	45744	914880	960624	4	5	249600	1	0	72000	3150524													
2	Lucknow	2	Lucknow VABH	550000	160000	3	0	1415700	8	0	45744	914880	960624	4	5	249600	0	1	36000	3371924													
3	Meerut	3	Lucknow VJBH	550000	160000	3	0	1415700	8	0	45744	914880	960624	3	6	230400	0	1	36000	3352724													
4	Azamgarh	4	Meerut DWH	500000	160000	1	2	900900	4	4	22872	675240	698112	3	6	230400	1	0	72000	2561412													
5	Bahraich	5	Azamgarh DWH	550000	160000	0	3	643500	8	0	45744	914880	960624	3	6	230400	0	1	36000	2580524													
6	Banda	6	Bahraich DWH	250000	160000	0	3	643500	3	5	17154	615330	632484	3	6	230400	0	1	36000	1952384													
7	Basti	7	Banda DWH	600000	160000	0	3	643500	5	3	28590	735150	763740	3	6	230400	1	0	72000	2469640													
8	Bulandshahar	8	Basti DWH	550000	160000	0	3	643500	8	0	45744	914880	960624	3	6	230400	1	0	72000	2616524													
9	Etawah	9	Bulandshahar DWH	400000	160000	1	2	900900	6	2	34308	795060	829368	3	6	230400	1	0	72000	2592668													
10	Faizabad	10	Etawah DWH	400000	160000	1	2	900900	6	2	34308	795060	829368	3	6	230400	1	0	72000	2592668													
11	L.Kheri	11	Faizabad DWH	550000	160000	0	3	643500	6	2	34308	795060	829368	3	6	230400	0	1	36000	2449268													
12	Lalitpur	12	L. Khri DWH	550000	160000	1	2	900900	8	0	45744	914880	960624	3	6	230400	1	0	72000	2873924													
13	Mirzapur	13	Lalitpur DWH	550000	160000	1	2	900900	8	0	45744	914880	960624	4	5	249600	1	0	72000	2893124													
14	Moradabad	14	Mirzapur DWH	550000	160000	1	2	900900	6	2	34308	795060	829368	3	6	230400	1	0	72000	2742668													
15	Pratapgarh	15	Moradabad DWH	600000	160000	2	1	1158300	8	0	45744	914880	960624	3	6	230400	1	0	72000	3181324													
16	Saharanpur	16	Pratapgarh DWH	550000	160000	2	1	1158300	6	2	34308	795060	829368	3	6	230400	1	0	72000	3000068													
17	Shahjhanpur	17	Saharanpur DWH	600000	160000	0	3	643500	8	0	45744	914880	960624	3	6	230400	1	0	72000	2666524													
18	Varanasi	18	Shahjhanpur DWH	550000	160000	0	3	643500	5	3	28590	735150	763740	3	6	230400	0	1	36000	2836440													
		19	Varanasi DWH	300000	160000	2	1	1158300	5	3	28590	735150	763740	3	6	230400	1	0	72000	2684440													
Grand Total (In Rs.)				9700000	3040000	20	37	17374500	124	28	709032	15705240	16414272	60	111	4435200	13	6	1152000	5211972													
Grand Total (In lacs)				97.00	30.40	57	57	173.75	152	28	7.09	157.05	164.14	171	111	44.35	13	6	11.52	521.16													

AK